खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की आम जन हेतु सेवाओं के सम्बन्ध में
FAQ (Frequently Asked Questions) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :—

1. राशनकार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर— उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी व्यक्ति वांछित अभिलेखों के साथ अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) पर जाकर नये राशनकार्ड अथवा प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु आवेदन कर सकता है।

2. **नये राशनकार्ड हेतु वांछित अभिलेख कौन—कौन से हैं ?**

उत्तर— आवेदक को नये राशनकार्ड हेतु आवेदन प्रपत्र पर समस्त सूचनाएं भरकर परिवार के मुखिया (वरिष्ठतम महिला/परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न होने पर वरिष्ठतम सदस्य) की पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, मुखिया के आधार कार्ड की छायाप्रति, निवास के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र (यदि आधार कार्ड में आवेदक का वर्तमान पता अंकित न हो), परिवार की आय का विवरण, समस्त सदस्यों के आधार संख्या, परिवार में बिजली/घरेलू गैस कनेक्शन की स्थिति हेतु अभिलेख संलग्नकर जन सेवा केन्द्र संचालक को राशनकार्ड आवेदन ऑनलाइन करने हेतु जमा करना होगा।

3. **नये राशनकार्ड आवेदन का प्रपत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है ?**

उत्तर— विभागीय वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर उपलब्ध मेन्यू ''**डाउनलोड फार्म**'' के विकल्प ''**आवेदन प्रपत्र**'' पर क्लिक कर राशनकार्ड का आवेदन प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

4. **राशनकार्ड आवेदन स्वीकृत हो जाने/राशनकार्ड जारी होने की सूचना आवेदक को किस प्रकार प्राप्त होगी ?**

उत्तर — राशनकार्ड आवेदन स्वीकृत हो जाने/राशनकार्ड जारी होने की सूचना आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जाती है।

5. **क्या राशनकार्ड आवेदन हेतु शुल्क निर्धारित है तथा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया क्या है ?**

उत्तर — हाँ, नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु रू0 20.00 का शुल्क निर्धारित है, जो आवेदक को जन सेवा केन्द्र संचालक को नकद अथवा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाना होता है।

6. **राशनकार्ड आवेदन करने के पश्चात् कितने समय में राशनकार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है ?**

उत्तर — नये राशनकार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु आवेदन के पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशनकार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है।

7. **ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशनकार्ड आवेदन हेतु अर्हताएं (Inclusion Criteria) कौन—कौन सी हैं ?**

उत्तर— ग्रामीण क्षेत्रो में नये राशनकार्ड हेतु निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी (यदि वे निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) में न आते हों) :—

1. ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार :—

क. भिक्षावृत्ति करने वाले

ख. घरेलू काम—काज करने वाले

ग. जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले

घ. फेरी लगाने वाले — खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि

च. कुष्ठ रोग से प्रभावित/एड्स से पीड़ित

छ. अनाथ / माता–पिता विहीन बच्चे,
ज. स्वच्छकार
झ. दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा – कुली, पल्लेदार आदि
2. भूमिहीन मजूदरों के परिवार
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण–पत्र के आधार पर)
4. परित्यक्त महिलाएं
5. ऐसे परिवार, जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है।
6. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों, जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों, सम्मिलित माने जाएंगे।
7. ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में)

8. ग्रामीण क्षेत्र में किन परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है ? अथवा राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के क्या आधार (Exclusion Criteria) हैं ?

उत्तर – ग्रामीण क्षेत्रों में राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) निम्नवत् हैं :–

1. समस्त आयकर दाता,
2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो,
3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, किन्तु बुन्देलखण्ड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा साढ़े सात एकड़ होगी,
4. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स / शस्त्र हों।

उपरोक्त परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

9. नगरीय क्षेत्रों में नये राशनकार्ड आवेदन हेतु अर्हताएं (Inclusion Criteria) कौन–कौन सी हैं ?

उत्तर– नगरीय क्षेत्रो में नये राशनकार्ड हेतु निम्नलिखित परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी (यदि वे निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) में न आते हों) :–

1. ऐसे व्यक्ति या उनके परिवार :–
क. कुष्ठ रोग से प्रभावित / एड्स से पीड़ित
ख. अनाथ / माता–पिता विहीन बच्चे,
ग. परित्यक्त महिलाएं
घ. कचरा ढोने वाले / स्वच्छकार
2. ऐसे परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्नलिखित स्रोत निम्नलिखित में से कोई एक है :–

क. भिक्षावृत्ति
ख. घरेलू काम–काज
ग. जूते चप्पल की मरम्मत
घ. फेरी लगाने वाले – खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि।

3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात् अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार, जिनके मुखिया दैनिक वेतन भोगी मजदूर यथा – कुली, पल्लेदार आदि हों
4. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण–पत्र के आधार पर)
5. ऐसे परिवार, जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है।
6. आवासहीन परिवार
7. ऐसे परिवार जो ऐसे आवासों में रहते हों, जिनकी छत पक्की न हो।
8. ट्रांसजेण्डर कम्यूनिटी के सदस्य (अर्थात् किन्नर), यदि वे एक्स्क्लूजन क्राइटेरिया में न आते हों।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी (आय के आरोही क्रम में)

10. नगरीय क्षेत्र में किन परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है ? अथवा राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के क्या आधार (Exclusion Criteria) हैं ?

उत्तर – नगरीय क्षेत्रों में राशनकार्ड की सुविधा से निष्कासन के आधार (Exclusion Criteria) निम्नवत् हैं :–

1. समस्त आयकर दाता,
2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो,
3. ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मी0 से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मी0 या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो,
5. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रू0 3.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,
6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेन्स/शस्त्र हों।

उपरोक्त परिवारों को राशनकार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

11. नये राशनकार्ड हेतु आवेदन करने के पश्चात् की चरणबद्ध प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) क्या है ?

उत्तर – जन सेवा केन्द्र से नये राशनकार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् निम्नवत् चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है :–

New Ration Card Application Process Flow (SOP)

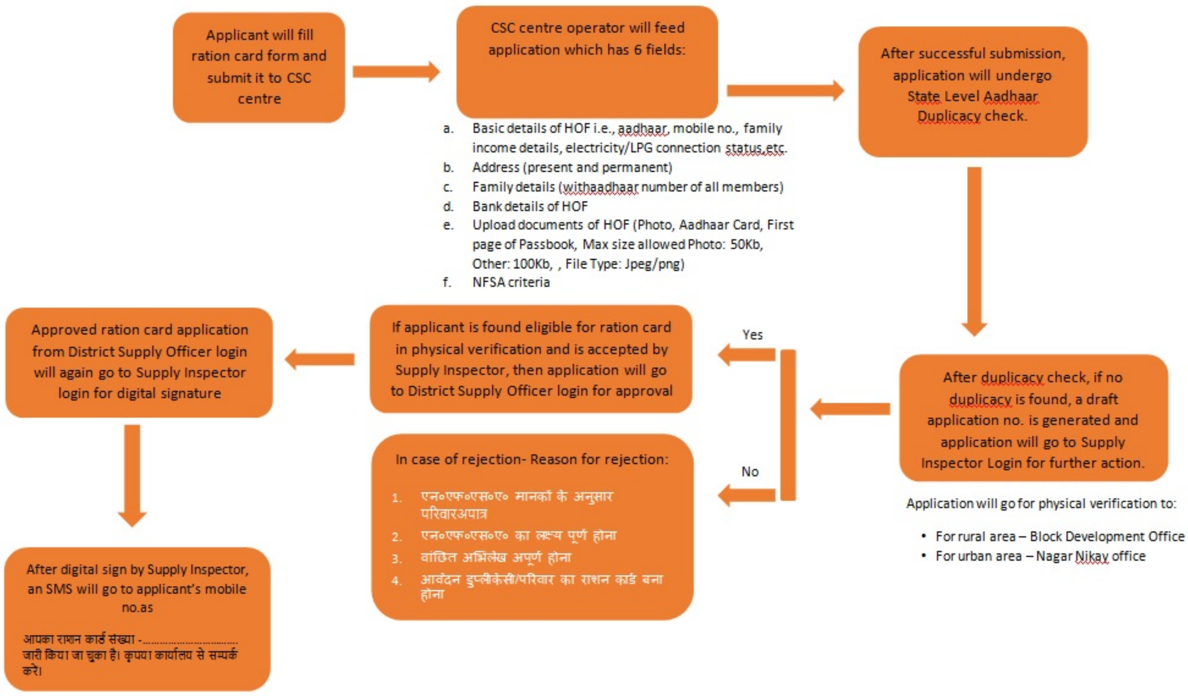

12. प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु आवेदन करने के पश्चात् की चरणबद्ध प्रक्रिया **(Standard Operating Procedure)** क्या है ?

उत्तर – जन सेवा केन्द्र से प्रचलित राशनकार्ड में संशोधन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् निम्नवत् चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है :–

Modification of Ration Card Application Process Flow (SOP)